22 Jan 2022

Subject Teacher

Adv. Rajendra Rathore (+91 702 3065 394) 35 - Old Chambers 107 in Nobel Chambers

Payment of wages Act, 1936

Wage - धन के रूप में अभिव्यक्त होने वाली मज़दूरी जिस से नियोजन संविदा में अभिव्यक्त या विवक्षित वर्णित सभी निबंदन/ शर्तों की पूर्ति करता हो। (धन के रूप में अभिव्यक्त पारिस्रमिक)

(जिंस का मतलब धान की मंडी।)

जीवन निर्वाह सूचकांक = life index

पहले bonus मज़दूरी का भाग नहीं होता है। लेकिन bonus act के बाद ये मज़दूरी का हिस्सा हो गया। लाभांश मज़दूरी का हिस्सा नहीं होता है। यह अभी भी मज़दूरी का हिंसा नहीं है।

HRA - मजूरी का हिस्सा है यात्रा भत्ता भी मजूरी का हिस्सा नहीं है। जो कार्य के लिए के यात्रा हो। Overtime is also a part of wage.

8.33% of salary part has to be given as bonus.

Mode of payment -

Who is responsible to pay?

Manager or employer (नियोजक) or the person who has made a contract with you (contractor) नियोजक सीधा payment कर सकता है।

नियोजक की जानकारी के बिना भी नियुक्ति हो सकती है । कैसे? किसी agency के द्वारा किसी श्रमिक की नियुक्ति करना।

Duration - monthly basis should be done. The employer has to pay the wages within the 7 days of last 30 days of work.

In case of state govt it can be 10 days and it can extend to 15 days (in exceptional case)

Time - The payment has to be made only on working days and in working hours.

Mode of payment - प्रचलित currency (sec 3 to 6)

After amendment आपके निवेदन पर लिखित आवेदन पर किसी वितिय संस्था में जमा करवा सकते है। e.g. bank

27 Jan 2022

Trade union Act 1926 - done